न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा
पीठासन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 23/2019

प्रार्थी :— 1. असकर पुत्र रिमजा
2. शुमार पुत्र रिमजा जातियान तेली मुसलमान
निवासीयान माखरसर, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थी :—
1. मांगूखां पुत्र सुलेमानखां
2. अकबर खां सुलेमानखां जातियान तैली मुसलमान निवासी माखरसर
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

अधिवक्ता 1 श्री डूंगरसिंह प्रार्थी वकील
श्री कौशल कुमार विप्रार्थी वकील

आदेश दिनांक :—09.09.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है,की सरहद मौजा माखरसर पटवार क्षेत्र पाटोदी के खसरा न0 4037 में आवागमन व निवास के उपयोग हेतु एवं कृषि उपयोग हेतु संलग्न नजरी नक्शा में बंरग लाल में मार्क ए से बी अनुसार विप्रार्थीगण की खातदारी भूमि खसरा न0 4036, 4269/4036, 4270/4036 व 4271/4036 में से होकर पाटोदी से नेवाई डामर रोड तक पहुंचने के लिये 15 फिट चौडा रास्ता घोषित करवाना चाहता है। उक्त रास्ता पर प्रार्थीगण के आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है, न ही कहीं इससे नजदीक रास्ता है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को दिनांक 14.2.2019 नोटिसेज जारी किये गये, जो बाद तामिल के पेश हुए। विप्रार्थी संख्या 01 के वकील ने जबाब दावा पेश किया गया है। दिनांक 23.07.2019 को तहसीलदार पचपदरा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना रिपोर्ट में दिनांक 5.12.2019 को प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा नें मौका रिपोर्ट में जाहिर किया कि मौजा माखरसर के खसरा न0 4037 तक आवागमन हेतु खसरा न0 4047 रकबा 17.11 गै.मु. रास्ता तक खसरा न0

उपखण्ड कलेक्टर (B.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

4268/4036 रकबा 1 बीघा किस्म बा.अ. अकबर खां, मांगुखां पि0 सुलेमान खां कौम तेली निवासी –भाखरसरके नाम से रेकर्ड अनुसारा खातेदारी भूमि है। खसरा न. 4036 का आपसी सहमति से विभाजन होने सहखोतदार द्वारा खसरा न0 4268/4036 रकबा 1.00 बीघा संयुक्त रखी गयी। अकबर खां, मांगु खां पि0 सुलेमान खां द्वारा ख. न 4037 तक आवागमन हेतु खसरा न0 4268/4036 रकबा 1.00 बीघा सार्वजनिक रास्ते हेतु समझाईस से सहमत है।

दोनो पक्षो के वकील की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया ।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड अनुसार जाचं करवाई गई जिसके अनुसार ग्रम भाखरसर खसरा सं. 4268/4036 रकबा 1.00 बीघा की वर्तमान डी.एल.सी दर सडक के पास एवं सिंचित भूमि की 63600/– रूपये है। अतः एक बीघा की भूमि की कीमत 63600/– रूपये है। अतः उक्त भूमि का बाजार मूल्य व दुगुनी राशि अकबर खां, मागुंखां पि0 सुलेमान खां को बराबर देय होगी। परिशिष्ट 'अ' के अनुसार रास्ता होगा। चूंकी प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा नं0 4037 में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न0 4268/4036, पाटोदी से नेवाई डामर रोड तक पहुंचने के लिये भूमि खसरा संख्या 4268/4036 में 15 फिट चौडा रास्ता घोषित किया जाता है। जिसका रकबा 1 बीघा होगा। प्रार्थी इस हेतु डी.एल.सी रेट अनुसार बतौर क्षतिपूर्ती रूपये 63.900/– के हिसाब से दो गुना राशि बराबर 1,27,200/– अक्षरे एक लाख सताई हजार दो सौ रूपये विप्रार्थी मांगू खां, अकबर खां को अदा करे नहीं प्राप्त करने की स्थिति में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश आज दिनांक 09.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित कुमार)
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा